वाणिज्य / जोधपुर डिस्कॉम– 815

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि. / प्र.नि. / मु.अ.(मु.) / अ.अ.(आर.ए.–सी.) / फा / प्रे. 772 दि. 11.09.17

आदेश

विषयः– कृषि मीटर्ड श्रेणी के मीटर बन्द / खराब होने की स्थिति में ऊर्जा खपत के आकलन के सम्बन्ध में।

पूर्व में आदेश क्रमांक 2219 दिनांक 07.08.2012 (वाणिज्य / जोधपुर डिस्कॉम–580) द्वारा सभी मीटर्ड श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के मीटर खराब / बन्द होने पर इस अवधि की बिलिंग फ्लैट रेट से किये जाने पर विद्युत उपभोग यूनिटों के आकलन के सम्बन्ध में मापदण्ड निर्धारित किये गये थे, परन्तु विगत सालों में वर्षा ऋतु चक्र में हुये परिवर्तन को देखते हुये कृषि मीटर्ड श्रेणी के मीटर बन्द / खराब होने की स्थिति में ऊर्जा खपत के आकलन के सम्बन्ध में निम्नलिखित संशोधित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. ब्लॉक आपूर्ति वाले क्षेत्रों के लिये बिलिंग माह अप्रेल से अगस्त तक कृषि श्रेणी के फ्लेट रेट हेतु निर्धारित 1945 यूनिट प्रति किलोवाट वार्षिक अनुसार मीटर खराब / बन्द रहने की 153 दिनों की अवधि के लिए 31.30 प्रतिशत अर्थात् 609 यूनिट के अनुरूप 3.98 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिदिन एवं बिलिंग माह सितम्बर से मार्च तक रबी के दौरान कृषि श्रेणी के फ्लेट रेट खराब / बन्द रहने के 212 दिनों की अवधि के लिए 68.70 प्रतिशत अर्थात् 1336 यूनिट के अनुरूप 6.30 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिदिन आकलित करें। इस प्रकार की गई गणना पूरे वर्ष के लिए 1945 यूनिट प्रतिवर्ष के अनुरूप ही की जावे।
2. इसी प्रकार ब्लॉक से अधिक आपूर्ति वाले क्षेत्रों में कृषि श्रेणी के लिए बिलिंग माह अप्रेल से अगस्त तक 8 यूनिट प्रति एच.पी. प्रतिदिन व बिलिंग माह सितम्बर से मार्च तक 12 यूनिट प्रति एच.पी. प्रतिदिन मीटर खराब / बन्द रहने की अवधि के लिए आंकलित करें।
3. निगम मुख्यालय पर राजस्व संबंधी मुख्य लेखाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बिलिंग एजेन्सी द्वारा खराब / बन्द मीटरों की ऊर्जा खपत की गणना उपर्युक्त अनुसार ही की जावे व बिलिंग हेतु चार्ज की जाने वाली राशि विनियामक आयोग द्वारा कृषि श्रेणी के फ्लेट रेट हेतु निर्धारित दरो के अनुसार ही हो।

सभी संबंधित अधिकारी उपर्युक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से

11/9/17

(यू.एस. चौहान)
अधीक्षण अभियंता (आर ए एंड सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर